

29.6.18


पञ्जाबली आण कौम्य कोर्ट गुहाबावनी में पेठ  
हुई। कौम्य कोर्ट के सौभाग्य उपास्थित उग्रमपक्षों के  
सुना गया। प्रकार में ग्राम बाणी खेददा की सरहद  
में स्थिते भूमि ख.नं. 18, 62, 63 का जो सीमाज्ञान  
दिनांक 6.11.13 को किया गया है उक्त फर्दी सीमाज्ञान  
के अनुसार भूमि का नाप जोख अंकित नहीं किया  
गया है जिसके कारण सही स्थिति का पता नहीं  
चलता है। आधी गण भूमि ख.नं. 18 के उत्तरी पश्चिमी  
तथा पूर्वी सीमा पर तथा ख.नं. 62, 63 की दक्षिणी  
सीमा पर पत्थरगड़ी करवाया गया है। उक्त  
विवेचन के प्रायोगिक कार्यका पत्र स्वीकार किया  
जाना उचित व आगे उचित प्रतिक्रिया है।

आदेश

आधी गण अ. नं. 110, 128 L R Act का स्वीकार  
किया जाता है। तहसील हार, उदमपुरवाली को आदेशित  
किया जाता है कि ग्राम बाणी खेददा के भूमि ख.नं.  
18, 62, 63 का उग्रमपक्षों की उपास्थिति में पुनः  
सीमाज्ञान करवाते हुए निगमानुसार उक्त वर्धित  
भूमि की सीमाओं पर पत्थरगड़ी करवावे।

पञ्जाबली कौम्य सुनने के बाद नंबर के काम हो  
तथा हारविल दफ्तर हो।

निर्णय आण दिनांक 29.6.18 को कौम्य कोर्ट  
गुहाबावनी में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उदमपुरवाली (सुपुन)